

of setting up the SEBI was to have a high-powered body which would concentrate, single-mindedly, on the functioning of stock exchanges, to plug the loopholes, to take stock of the irregularities and also take remedial measures. In the light of this, I do not think here is anything further that needs to be done by the Government at this stage.

Reduction in loan to farmers in Gujarat

*543. SHRI VITHALBHAI M. PATEL
Will the Minister of FIN-ANCB be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the amount of loan to small and marginal, farmers of Gujarat in priority sector is being reduced year by year from 1988-89 to 1991-92;

(b) what is the amount of loan given to the above sector in Gujarat during the same period; and

(c) what are the reasons for reducing the loan amount?

THE MINISTER, OF STATE: IN
THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) A
statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India, the banks are to ensure that advances to Weaker Sections, which include the small and marginal farmers, should be at least 10 per cent of their total advances or 25 per cent of their Priority Sector advances. There is no change in the above guidelines with regard to financing the weaker sections.

The collection and compilation of data on different aspects is a time consuming process, and hence, Statewise information relating to amounts of loans extended by banks to small and marginal farmer is not avail-

able for the year 1991-92. However, the total outstanding amount of loans to small and marginal farmers by the scheduled commercial banks in the State of Gujarat as at the end of Decemebr, 1988, September, 1989 and September, 1990 (latest available) was as under:

As at the end of	Amount (Rs. in crores)
December, 1988	174
September, 1989	176
September, 1990	180

(c) Does not arise in view of reply given under.

(a) and (b) above.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Madam, in this Session itself, earlier, the Minister had given the following figures: 1988-45 crores; 1989—30 crores; and 1990—29 crores. Today, the Minister has given the figures—Rs 174 crores, Rs. 176 crores and Rs. 180 crores. Which should I believe? The reply which was given on 10th July, in the Lok Sabha, gives some other figures. In the reply which the hon. Minister has given here today, he says something else. Which reply should I believe?

श्री एस० एस० अहलुवालिया:
महोदया, बड़ा गम्भीर मसला है (व्यवधान)

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह
तो मजाक हो रहा है (व्यवधान)

I have got the earlier reply also with me here. I have got both the questions. On 10th April the Minister says that the marginal loan given in Gujarat in three years was Rs. 45 crores, Rs. 30 crore and Rs. 29 crores. Today the Minister comes out with the figure of Rs. 174 crores, Rs. 176 crores and Rs. 180 crores.

एक महीने में बढ़ गया है.. (व्यवधान)
बताइये क्या करूँ मैं?

उपसभापति : मंत्री जी जवाब दीजिए
What is the discrepancy between the
answer given in the Lok Sabha and the
answer given in the Rajya Sabha?

श्री दलबीर सिंह : माननीय उप-
सभापति जी उसका मैं करेक्शन करूँगा।
यदि है तो उसको मैं सुधारूँगा।

उपसभापति : आपने ही जवाब दिया
है, या किसी और ने दिया है...
(व्यवधान)

श्री दलबीर सिंह : यह जो रिप्लाय
है... (व्यवधान) इसका मैं आन्सर दे
रहा हूँ कि जरूर कमी आई है गुजरात
में क्योंकि जून 1988 में 45 करोड़,
1989 में 30 करोड़ और 1990 में
29 करोड़ का ऋण दिया गया। इसके
साथ उसका एक कारण यह है कि
1989 और 90 में जो ऋण मुक्ति
योजना चलाई गई उसका भी बहुत असर
हुआ है। इससे जो किसान कर्ज लौटाने
लायक थे उन्हें भी ऋज नहीं दिए और
बराबर उनके दिमाग में यही बना रहा
कि.. (व्यवधान) सरकार कभी न कभी
ऋण माफ कर देती है। न केवल गुजरात
बल्कि सारे देश में है, अन्य राज्यों से
भी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उन
पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। वैसे
हमने लोन वेवर में इसी बजट में 5425
करोड़ रुपया रखा है और इसके पहले
भी हमने बजट में रखा था। इसके
साथ साथ जो आउट-स्टैंडिंग गुजरात का
है, वह 1988, 89 और 90 में 174,
176 और 180 करोड़ रुपये है। लेकिन
मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ माननीय
सदस्य को कि जरूर मैं लोकसभा और
राज्यसभा के आंकड़ों को टैली करूँगा।

इसके साथ साथ मैं यह भी माननीय
सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमेशा
गवर्नमेंट की नीति रही है कि जो प्राथमिकी
सेक्टर है खासकर किसानों का जो कुल

डेबिटिंग है इसमें लगभग 40 परसेंट है,
इसमें हमने 18 परसेंट तो डाइरेक्ट
लॉनिंग के लिए रखा है और जो कमजोर
वर्ग के लोग हैं, सीमांत कृषक लोग हैं
उनका हमने 10 परसेंट रखा है और
डी.आर.आई. स्कीम में हमने एक
परसेंट रखा है। तो ऐसी खासन की
नीति है और इसे हम बराबर इम्प्लीमेंट
कर रहे हैं।

उपसभापति : सेकंड सप्लीमेंट्री।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल :
ठीक जवाब नहीं दिया है। इन्होंने पैसा
सिर्फ 45 करोड़ का दिया तो आउट-
स्टैंडिंग 174 करोड़ कैसे हो सकता है।
45 करोड़ का आपने ऋण दिया तो
174 करोड़ आउट स्टैंडिंग होता कैसे
है।

श्री दलबीर सिंह : इसमें ऐसा है
एक ही साल का नहीं है। जो पिछले..
(व्यवधान)

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल :
एक ही साल का नहीं.. (व्यवधान)
तीनों साल का मेरे पास है, लोक सभा
और राज्य सभा दोनों का..
(व्यवधान)

श्री दलबीर सिंह : ऐसा नहीं है
कि साल भर में ही हमने इतना दिया
है। जो किसानों का, सीमांत कृषकों
का एक्ज्युमुलेटेड फंड है सिन्स ए लॉम,
उसको हमने बताया है। एक ही साल
का हमने नहीं बताया है।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : ये
कैसी बात करते हैं। पैसा दिया ही नहीं
तो आउटस्टैंडिंग होगा कहां से...
(व्यवधान)

उपसभापति : मंत्री जी, वे यह कह
रहे हैं कि आप मान लीजिए कि कहीं
गलती हो गयी है, छापाई में, प्रिंटिंग में
(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : इसमें
कार्यवाही करें, इसकी जांच करवायें..

उपसभापति : हां, जांच करवायें.
(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : कि लोक सभा में क्यों गलत दिया बयान, यहां क्यों गलत बयान आया। इसकी जांच करवायें।

एक माननीय सदस्य : प्रीर नहीं तो प्रिविलेज का मोशन बनता है।

श्री बलबीर सिंह : पहले ही इसको मैं स्वीकार किया है कि यदि लोक सभा और राज्य सभा में कुछ आंकड़ों में फर्क है तो उसको सुधारा जाएगा।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह रिप्लाय है इनका. (व्यवधान) पूरी जांच होनी चाहिए। वे आर टोटली मिग्लीडिंग व हाउस। पैसा दिया नहीं तो ग्राउट-स्टैंडिंग कैसे रखते हैं उसको। पैसा दिया नहीं फिर ग्राउट-स्टैंडिंग कैसे हो सकता है, मुझे यह बताइये। आपने 45 करोड़ दिया, 30 करोड़ दिया, 29 करोड़ दिया, फिर 174 करोड़, 176 करोड़ और 180 करोड़ ग्राउट-स्टैंडिंग कैसे रहता है. (व्यवधान) यही नहीं हमें पता चला।

उपसभापति : वे पता लगा लेंगे। वह कहीं गलती हो गयी होगी छपाई में. (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह : हमारे जो आंकड़े हैं वे डिसेम्बर के हैं और दूसरे जो हैं हमारे ग्राउट-स्टैंडिंग के हैं।

उपसभापति : सेक्रेट सप्लीमेंट्री। बस हो गया।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : नहीं, नहीं। सप्लीमेंट्री में क्या पूछें इनमें। क्या सप्लीमेंट्री पूछें?
(व्यवधान)

श्री मुन्वर सिंह भंडारी : मैडम, सवाल पूछा गया था कि लोन कितना दिया गया। इस सवाल का जवाब नहीं

है। केवल ग्राउट-स्टैंडिंग कितना है यही फिगर दिया गया है। तो क्या मंत्री जी इन तीनों वर्षों में कितना कितना लोन दिया गया, इसके आंकड़े देंगे? और दूसरा यह है कि 10 से 25 प्रतिशत जो आपने बात कही है, हर हाल में दिया गया अमाउंट, उनके टोटल डिसेम्बर का कितना परसेंट हुआ। जब तक यह फिगर्स आप नहीं देंगे, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

श्री बलबीर सिंह : उपसभापति जी, इसकी फिगर जो गुजरात की है, वह तो मैंने बताया, लेकिन सारे देश के लिए तीन साल का बतलाता हूँ। इसमें लगभग 1,360 करोड़ रुपये हमने सारे देश को दिया और 1989 में 1,570 करोड़ रुपये। जहां तक प्रायर्टी लेंडिंग का सवाल है, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, 1985 में हमने इसका टारगेट रखा था कि 1985 के समाप्त होते-होते तक 17 प्रतिशत इसमें रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर 1988 में ही इसका टारगेट हमने 18 प्रतिशत प्रायर्टी बेसिस पर रखा। तो उस टारगेट को भी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसा कुछ छिपाने की बात नहीं है और इस सबके में शामन की भी स्पष्ट नीति है।

जहां तक 10 प्रतिशत जो कमजोर वर्गों के लिए हमने रखा है, जो सीमांत किसान हैं गरीब तबके के लोग हैं और इतना ही नहीं, बल्कि 1984 में राजीव गांधी ने भी इसमें श्रम योजना चलाई और 1986 में उन्होंने जवाहर रोजगार योजना चलाई। उसके तहत भी गरीबों को इसमें फायदा मिल रहा है, जिसे ग्रबन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री देखती है।

SHRI S. S. SURJEWALA: Madam, in reply to parts (a) and (b) of the question, the Minister has stated that in terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the banks are to ensure that advances to weaker sections, which include the small and marginal farmers, should be at

least 10 per cent of their total advances or 25 per cent of their priority sector advances. Madam, I would like to know whether, in view of the steep decrease in the value of the rupee and the corresponding increase in prices of inputs in the country, the Government would consider increasing this 10 per cent ratio and revise the guidelines of the Reserve Bank to make it 20 per cent for the benefit of the weaker sections and small and marginal farmers.

श्री इलबोर सिंह : उपसभारपति जी, यह तो सजशंस हैं। इन पर हम विचार करेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने 22 अप्रैल, 1992 में जड़ों के छह स्लैब थे, उन्हें हमने चार कर दिया है। 7,500 रुपये का 11.5 प्रतिशत ब्याज, 7,500 से 25,000 तक 13.5 प्रतिशत और इसी तरह 25,000 से आठ लाख रुपये तक 16.5 प्रतिशत और 8 लाख से ऊपर 19 प्रतिशत किया है। इसमें जो लघु किसानों और लघु धंधों के लिए पच्चीस हजार से दो लाख तक की जो सीमा है, उसमें न्यूनतम ब्याज दर 15 प्रतिशत है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस पर हम विचार करेंगे।

The question is not correct. When the answer comes correctly, then I will allow. yes, Shri Ram Gopal Yadav.

श्री छोट्टमार्ह पटेल : मैडम, यह सवाल पूछा था... (व्यवधान)

उपसभारपति : नहीं। ठीक है, वह जवाब हो जाएगा, फिर करवा देंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 544—Shri Ram Gopal Yadav.

Telephones at village panchayats

*544. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

SHRI RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the number of telephones installed in various panchayats, State-wise, as per the latest figures available;

(b) whether it is a fact that telephones meant to be installed at village panchayats are actually installed at some other places;

(c) if so, whether his Ministry has received any complaints from the villagers in this regard; and

(d) what steps are being taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): (a) 71,274.

Details are given as per the statement laid on the Table of the House. (See below)

No. Sir. As per existing policy, telephones in Panchayat villages are provided at any of (i) Post Offices (ii) Panchayat Offices (iii) Grocer's shops or other suitable places with good public access.

(c) and (d) Yes, Sir. Some complaints have been received, which are sorted out in accordance with the existing policy.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Gopal Yadav.